न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2020-00244Jodhpur2020-123 Kumbharam ors Vs State etc

1. कुम्भाराम पुत्र गिरधारीराम
2. माधाराम पुत्र गिरधारीराम
3. श्रीमती रुकमा देवी पत्नी स्व. चुतराराम
4. चुनाराम पुत्र चुतराराम
5. दौलाराम पुत्र चुतराराम
6. धन्नाराम पुत्र चुतराराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- तालर की ढाणी, पुरखपुरा, बम्बोर दर्जियान्, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।
3. सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 02 सितंबर 2020 सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 60/2020 कुम्भाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री कमलेश राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 16 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 60/2020 कुम्भाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 सितंबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92-ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 197 रकबा 8.08 बीघा ग्राम बम्बोर दर्जियान् {वर्तमान ग्राम पुरखपुरा} के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रार्थीगण/अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/अीपलांट्स को बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 सितंबर 2020 के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से अस्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण की भूमि खेत खसरा नं. 197 रकबा 8.08 बीघा मौजा बम्बोर दर्जियान् पर वक्त सेटलमेंट के पूर्व गिरधारी, चुतराराम पिसरान् हराराम जाट के नाम से खातेदारी में दर्ज थी तथा वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही उक्त भूमि में गिरधारीराम, चुतराराम पिसरान् हराराम जाट का कब्जा काश्त था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थीगण उत्तराधिकारीगण की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है। मौके पर अपीलार्थीगण के मकान, बाड़े इत्यादि बने हुए है, जिस पर पूर्व से ही खेती कार्य करते थे। वर्तमान में परिवार में बढोतरी के कारण सभी के पास बराबर-बराबर हिस्सा है तथा उसी अनुसार कब्जा काश्त है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित है। अपीलार्थीगण द्वारा खसरा परिवर्तनशील की नकले राजस्व रेकर्ड के रूप में प्रस्तुत की है, जिससे भी साबित होता है कि वक्त सेटलमेंट से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। इस कारण सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थीगण के पक्ष में है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। यदि वे अपने इस उद्धेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा वे काश्त और रहवास से महरुम हो जायेंगे। मौके पर बिजली व पानी के कनेक्शन भी जारी किये हुए है तथा रहवासीय मकान इत्यादि बने हुए है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं सबूतो पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से अस्वीकार कर दिया। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 सितंबर 2020 को निरस्त किया जावे एवं वाद लंबित रहने तक विवादित भूमि खसरा नं. 197 रकबा 8.08 बीघा मौजा बम्बोर दर्जियान् वर्तमान राजस्व ग्राम पुरखपुरा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में विद्रान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट्स ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से राजकीय भूमि दर्ज रही है तथा नामांतरकरण संख्या 114 दिनांक 09.07. 2012 के जरिये उक्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या तीन जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज की जा चुकी है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी दर्ज है। कानूनन अतिक्रमी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख खसरा परिवर्तनशील मुताबिक वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स के पिता गिरधारीराम, चुतराराम पिसरान् हराराम की पुरानी ढाणी सहित कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से राजकीय भूमि दर्ज रही है तथा नामांतरकरण संख्या 114 दिनांक 09.07.2012 के जरिये जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई है। केवल कब्जे के आधार पर अपीलांट्स को अतिक्रमण विस्तार की भी छूट दिया जाना अदालत हाजा की राय में न्याय संगत नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में जरिये साक्ष्य तय होना होना है। वाद के विचारण तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है, किंतु अधीनस्थ न्यायलय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा मामला शीघ्र निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित है।

परिणाम स्वरूप समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 60/2020 कुम्भाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व अन्य बनाम राजस्थान राज्य इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 सितंबर 2020 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र का एक माह की अवधि में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 197 रकबा 8.08 बीघा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर